

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

120

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अद्यक्ष्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीव,
दूरभाष : 0091-06
(कार्यालय)
2442462 (नि.
फैक्स : (0091-0751-234
E-mail :
jurg_gwl@rediffmail.c
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 1668

दिनांक : 28/1/14

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार :- FLORENCE NIGHTINGALE COLLEGE OF NURSING & RESEARCH CENTRE GWALIOR सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित, B.S.C. (NURSING.) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. 28(17) के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों का अनुमोदन कार्यपरिषद् से कराये।
2. शिक्षकों को वेतन बैंक द्वारा दें।
3. एन.एस.एस. इकाई की स्थापना करें।
4. शासी निकाय की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करें।
5. रीडिंग रूम को व्यवस्थित किया जाये।
6. परिनियम 27,28 का पालन करें।
7. वर्ष 2012-13 का ऑडिट स्टेटमेंट जमा करें।
8. परिनियम 28(17) के अन्तर्गत शिक्षक कम है अतः नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्तियाँ 03 माह में कराये जावें।
9. पुस्तकालय के लिए International Journal एवं 05 Indian Journals क्रय किये जावे।

नोट :- शर्तें (1) एवं (8) की पूर्ति महाविद्यालय द्वारा 03 माह में कराई जावे यदि 03 माह में पूर्ति नहीं कराई जाती है तो सत्र 2014-15 की सम्बद्धता की समिति का गठन न किया जावे और सम्बद्धता प्रदान न की जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य FLORENCE NIGHTINGALE COLLEGE OF NURSING & RESEARCH CENTRE GWALIOR
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-वंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)